पत्रांकः UOP/BOM/2022/353

दिनांकः 28.12.2022

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) की तृतीय बैठक दिनांक 16.12.2022 अपराह्न 04:00 बजे पतंजलि विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन के भूतल स्थित सभागार कक्ष

आज दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को अपराह्न 4:00 बजे प्रबन्ध मण्डल की बैठक; मंत्रोच्चारण के साथ प्रारम्भ हुई। प्रबन्ध मण्डल बैठक की कार्यवाही को प्रारंभ किये जाने हेतु सचिव (कुलसचिव) महोदया द्वारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्यश्री को चरण वन्दन करते हुए बैठक की कार्यसूची के अनुसार एजेण्डा को प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के सामने रखने की स्वीकृति के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी एवं अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार प्रारम्भ हुई।

बैठक में माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज, माननीय कुलपति परम श्रद्धेय आचार्य श्री; पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित डॉ. एन.पी.सिंह, श्री ललित मोहन, श्री सतेन्द्र मित्तल, प्रो. महावीर अग्रवाल; कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष डॉ. साध्वी देवप्रिया, डॉ. ओम नारायण तिवारी; ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक डॉ तोरण सिंह, डॉ. अरविन्द कुमार सिंह; विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ. के.एन.एस. यादव, डॉ. वी.के. कटियार, श्री वी.सी. पाण्डेय एवं सचिव प्रबन्ध मण्डल कुलसचिव डॉ. प्रवीण पुनिया उपस्थित रहें।

क्र. सं.	कार्यवृत्त – चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	कार्यसूची–1 पूर्व में दिनांक 18.3.2021 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदित कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि :– i) प्रथम दीक्षान्त समारोह दिनांक 28.11.2021 को सम्पन्न हुआ, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय मुख्य अतिथि रहे। समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्नातकों व परास्नातकों को स्वर्णपदक प्रदान किये गये तथा स्नातक, परास्नातक व डाक्टरेट (विद्या–वाचस्पति) की डिग्रीयाँ भी दी गई। ii) शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी.एन.वाई.एस एवं डी.एन.वाई.टी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम द्वारा किये गए निरीक्षण एवं अति उत्कृष्ट रिपोर्ट की जानकारी दी गयी। iv) वर्ष 2021–22 से सभी संकाय सदस्यों का मूल्यांकन स्वमूल्यांकन के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रारुप के अनुसार ही किया गया है।
2.	कार्यसूची–2 दिनांक 29.12.2020 की व्यवस्थापक मण्डल की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देशित छः माह के प्रत्येक सार्टिफिकेट कोर्स तथा एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रमों को सत्र 2023–24 से संचालित किये जाने हेतु पाठ्यक्रमों की रूपरेखा सम्बन्धी विषयक – i) आपदा प्रबन्धन – अवधि छः माह	विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय और मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकायों में निम्न पाठ्यक्रमों की रूपरेखा नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार तैयार कर, नये सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 के लागू किये जाने के साथ ही मार्च 2023 तक तैयार कर लागू कराने हेतु निम्न सदस्यों को जिम्मेदारी प्रदान की गयी:– i) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत – डॉ. वी के. कटियार संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध के मार्गदर्शन में डॉ. सत्येन्द्र मित्ताल तथा डॉ. अरविन्द कुमार सिंह छः माह के आपदा प्रबन्धन का पाठ्यक्रम मार्च 2023 तक तैयार करने हेतु। माननीय सदस्य डॉ. सतेन्द्र मित्तल ने जानकारी दी कि वे इस विषय को उनके संस्थान आई.आई.टी रुड़की में पढ़ा रहे हैं अतः इस कोर्स को बनवाने और पढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। (कार्यवाही–डॉ. वी. के. कटियार)

क्रमशः 2

	ii) कम्प्यूटर प्रशिक्षण – अवधि छः माह iii) संस्कृत में विज्ञान – अवधि एक वर्षीय डिप्लोमा	ii) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत – डॉ. वी. के. कटियार संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध के मार्गदर्शन में डॉ. अरविन्द कुमार सिंह तथा डॉ. निर्विकार छः माह के कम्प्यूटर प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम मार्च 2023 तक तैयार करने हेतु। (कार्यवाही–डॉ. वी. के. कटियार) iii) प्राच्य विद्या संकाय के अन्तर्गत – डॉ. साध्वी देवप्रिया, संकायाध्यक्ष–मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय के मार्गदर्शन में डॉ. सोमदेव शतांशु, डॉ. विजयपाल शास्त्री एक वर्षीय डिप्लोमा संस्कृत में विज्ञान का पाठ्यक्रम मार्च 2023 तक तैयार करने हेतु। (कार्यवाही–डॉ. साध्वी देवप्रिया)
3.	कार्यसूची–3 i) पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया	कुलसचिव महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को जानकारी दी कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 में पी.एच–डी प्रवेश प्राप्त करने हेतु **कुल 154 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।** जिसमें अलग–अलग विषयानुसार 1. योग विज्ञान– 127 (नेट–31 एवं जेआरएफ–12), 2. दर्शनशास्त्र– 01 (जेआरएफ–01), 3. संस्कृत– 06 (नेट–01), 4. संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान–01, 5. मनोविज्ञान–18, 6. बॉयोटेक–01 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तदुपरान्त माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के इस विषय से सम्बन्धित नियमों के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त की। **1) पी.एच.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश किन–किन को दे सकते है –** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना 7 नवम्बर 2022 के बिन्दु संख्या 5 प्रवेश की प्रक्रिया के अन्तर्गत पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है:– क) उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते है। और /या ख) उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते है। प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे। ग) प्रवेश परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे। घ) आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय के अनुसार अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी। ड़) उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते है। च) बशर्ते कि, उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए 70% और साक्षात्कार /मौखिक परीक्षा में परीक्षा के लिए 30% का महत्व दिया जायेगा।

क्रमशः 3

2) पी.एच.डी पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों और शोधार्थियों को गाईड करने वाले पर्यवेक्षक एवं संकाय सदस्यों के विषय में भी माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के बारे में निम्नलिखित जानकारी ली–

पीएच.डी कराने के लिए गाईड के सम्बन्ध में – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना 7 नवम्बर 2022 के बिन्दु संख्या– 6 में वर्णित शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण– शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक, बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएचडी शोधार्थियों की संख्या, आदि नियमों के अनुसार

1. किसी एक समय में एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर क्रमशः आठ (8)/ छह (6)/चार (4) पीएच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
2. अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, विभाग/ स्कूल/ केंद्र/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
3. ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नये शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि, हालाँकि, ऐसे संकाय अपनी सेवनिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोद्यार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते है और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह–पर्यवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते है उसके बाद नहीं।

कुलसचिव महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध) के द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यसूची 3(i) के अन्तर्गत पृष्ठ 19 पर लगी सूची के बारे में बताया।

अतः उपरलिखित नियमों व वर्तमान में पतंजलि विश्वविद्यालय के पीएच.डी. पाठ्यक्रम के विभिन्न विभागों में पर्यवेक्षकों (supervisors) के पास पहले से पंजीकृत शोधार्थियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपरलिखित क्रमशः 1, 2 और 3 पर दी गई अधिसूचनां के अनुसार वर्तमान में रिक्त स्थानों का विवरण निम्नवत है:–

	पर्यवेक्षक का नाम	कुल सीट	रिक्त सीट
अपने ख्याति प्राप्त कार्यक्षेत्र विषयक (प्रोफेसर)	परम पूज्य स्वामी जी	8	8
	श्रद्धेय आचार्य जी	8	8
प्रोफेसर (योग विज्ञान)	डॉ. ओमनारायण तिवारी	8	8
सहायक प्रोफेसर (योग विज्ञान)	डॉ. संजय सिंह	4	1
	डॉ. नरेन्द्र सिंह	4	1
	डॉ. रूद्र भण्डारी	4	2
	डॉ. सन्दीप सिंह	4	2
	डॉ. आरती पाल	4	4
प्रोफेसर (दर्शनशास्त्र)	डॉ. साध्वी देवप्रिया	8	3
सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान)	डॉ. वैशाली गौड	4	2
योग		56	39
नोट : प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी शोधार्थियों की निर्धारित संख्या के ऊपर दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है।			

क्रमशः 4

		अतः प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विचार/विमर्श के उपरांत उपरोक्त तालिका में विभाग एवं पर्यवेक्षक के अर्न्तगत रिक्त सीटों (रिक्त स्थानों की संख्या योग सांईस में – 34, दर्शनशास्त्र में–3, मनोविज्ञान में–2) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुसार भरे जाने एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पीएचडी गाईडलाईन के अनुसार गाईड निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया। जिन शोधार्थियों का पंजीकरण जिन शिक्षकों के निर्देशन में हो चुका है, वे शोध कार्य पूर्ण होने तक निर्देशक बने रहेंगे। प्रतिकुलपति, (कार्यवाही– कुलसचिव, संकायाध्यक्ष– शिक्षण एवं शोध, सम्बन्धित संकायाध्यक्ष– योग विज्ञान विभाग प्रवेश हेतु, संकायाध्यक्ष– मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय)
ii)	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पात्रता, सत्र 2023–24 हेतु	शैक्षणिक सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकृत किया। महत्वपूर्ण तिथियाँ 2023 के कैलेंडर उपलब्ध होने पर निश्चित कर ली जायें। सारी आवश्यक कार्यवाही– विवरणिका 2023–24 आदि को तैयार करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– कुलसचिव)
iii)	शैक्षणिक सत्र 2023–24 से नई शिक्षा नीति–2020 लागू करना।	शैक्षणिक सत्र 2023–24 से नई शिक्षा नीति–2020 को लागू करने के विषय पर – प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों को यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट संशोधित प्रणाली के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाईन को भी ध्यान में रखते हुए शीघ्रताशीघ्र तैयार करने को कहा। नई शिक्षा नीति 2020 के कियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय में गठित समिति स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा वर्ष वार **31 मार्च, 2023** तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ले, जिससे उसे अप्रैल–मई 2023 में विद्या परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू करने के लिए प्रस्तुत किया जाये। (कार्यवाही– डॉ. के.एन.एस. यादव के मार्गदर्शन में समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष)
iv)	पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी की संख्या 10 या 10 से अधिक होने पर ही पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति।	पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी की संख्या 10 या 10 से अधिक होने पर ही पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति विषय को विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि – क) पतंजलि विश्वविद्यालय के उदेद्श्य के अनुसार कुछ विभागों में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या 10 से कम रहने पर भी पाठ्यक्रमों के संचालन का निर्णय माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त ही किया जाय। ख) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के बारे में अखबारों में विज्ञापन दिया जाय, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संख्या ज्यादा बढ़े। (कार्यवाही– कुलसचिव कार्यालय)
v)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कामकाज के लिए संकायों' एवं विभागों तथा उनके अन्तर्गत विषयों का पुनर्गठन।	इस सन्दर्भ में प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को कुलसचिव महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20.10.2022 को अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि – 'वर्तमान में कुछ विभागों – मनोविज्ञान, अंग्रेजी, पर्यटन एवं संगीत विभागों में प्रवेशार्थियों की संख्या 10 से कम होने से, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्ताव न होने से ये विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करेंगे। अतः इन विभागों का पुनः वर्गीकरण किया जाये तथा उपरोक्त विभागों के समस्त शिक्षकों को अन्य विभाग में समायोजित किया जाये।' जो निम्नवत् है: क) मनोविज्ञान, अंग्रेजी, पर्यटन एवं संगीत विभागों में पी.जी. कार्सेज ऑफर न होने से यह विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करेंगे। उक्त विभागों के समस्त शिक्षकों को अन्य विभाग (योग विज्ञान, संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग) में समायोजित किया जाए।

क्रमशः 5

		ख) योग विज्ञान संकाय के अर्न्तगत– योग विज्ञान विभाग एवं शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग ग) विज्ञान संकाय के अर्न्तगत– संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग घ) मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय के अर्न्तगत– दर्शनशास्त्र विभाग एवं संस्कृत विभाग ङ) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय– प्राकृतिक चिकित्सा अतः माननीय सदस्यों द्वारा विभागों को अन्य संकायों के अन्तर्गत समायोजित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की। कार्यवाही– प्रति–कुलपति, कुलसचिव, उप–कुलसचिव, संकायाध्यक्ष– शिक्षण एवं शोध, संकायाध्यक्ष– मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय, संकायाध्यक्ष– योग विज्ञान संकाय
4.	कार्यसूची–4 विद्या परिषद से अनुमोदित एवं प्रबन्ध मण्डल से संस्तुति हेतु i) नवीन पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ स्पोर्टस साईस, बी. पी.एड, एम.एस–सी बायोकेमिस्ट्री एवं बी. एस–सी माइक्रोबायलॉजी को वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ किये जाने एवं रूपरेखा तैयार करने विषयक	क) मास्टर ऑफ स्पोर्टस साईस, बी.पी.एड, एम.एस–सी बायोकेमिस्ट्री एवं बी.एस–सी माइक्रोबायलॉजी को वर्ष 2023–24 से संचालित करनें हेतु नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाए। ख) उक्त नवीन पाठ्यक्रम विभागीय बोर्ड ऑफ स्टडीज के अनुमोदन के उपरांत विद्या परिषद की स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जाय जिसके उपरान्त ही नवीन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू किया जाएगा। कार्यवाही– संकायाध्यक्ष– शिक्षण एवं शोध, संकायाध्यक्ष– योग विज्ञान संकाय
	ii) शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन एवं शास्त्रीय वादन आदि स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय के अर्न्तगत शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन एवं शास्त्रीय वादन सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ में डिप्लोमा स्तर पर नई शिक्षा नीति के अनुसार रूपरेखा तैयार करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यवाही– संकायाध्यक्ष– मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय।
	iii) विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति पदक (Chancellor Medal) एवं कुलपति पदक (Vice-Chancellor Medal)– उन स्नातक, परास्नातक छात्र एवं छात्राओं को प्रदान करने हेतु जिन्होंने अपने उत्कृष्ट एवं अथक प्रयासों से अनुसंधान एवं शिक्षा के माध्यम से कक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है, इन्हें सम्मनित किये जाने हेतु – नियमावली बनाने के लिए स्वीकृति।	कुलाधिपति पदक (Chancellor Medal) एवं कुलपति पदक (Vice-Chancellor Medal) से सम्बधित नियमावली बनाने हेतु कुलसचिव कार्यालय में जिम्मेदारी सौंपी गयी। इसी क्रम में डॉ. सतेन्द्र मित्तल जी द्वारा इस हेतु 04 लाख की धनराशि दिये जाने की घोषणा की गयी जिसका समस्त सदस्यों ने करतल ध्वनि से इसकी प्रशंसा की। (माननीय सदस्य डॉ. सतेन्द्र मित्तल द्वारा पूर्व में भी 01 लाख की धनराशि दी जा चुकी है) (कार्यवाही– कुलसचिव/वित्ताधिकारी)

क्रमशः 6

	iv) बी.एन.वाई.एस के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन।	क) बी.एन.वाई.एस पाठ्यक्रम में अगले वर्ष 2023 तक सीटें न बढ़ाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा लिया गया। ख) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय को मार्च 2023 तक पतंजलि योगपीठ, फेस–1 में स्थानांतरित किये जाने की घोषणा पतंजलि विश्वविद्यालयस के माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा की गयी। कार्यवाही– संकायाध्यक्ष– प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय।
5.	कार्यसूची–5 दिनांक 27.5.2022 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक से अनुमोदन उपरानत व प्रबन्ध मण्डल मा. कुलपति (पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अध्याय–IV मे बिन्दु संख्या 4. 3.7) द्वारा पारित। अतः वर्तमान में कार्योत्तर मंजूरी (Post Facto) के बाद पारित करने हेतु।	निम्नलिखित कार्यसूची 5(i), (ii) और (iii) को कार्योत्तर मंजूरी (Post Facto) की स्वीकृति प्रदान की गयी। i) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को CBCS System के अनुसार ii) परीक्षा विभाग से सम्बन्धित परीक्षा नियमों में संशोधन हेतु। iii) विश्वविद्यालय शिक्षण शुल्क में वृद्धि व छात्रों द्वारा देय बकाया राशि से संबंधित
6.	कार्यसूची–6 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों हेतु सूचनार्थ i) संकायाध्यक्ष व अन्य शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति से सम्बन्धित– सूचनार्थ ii) योग में, यज्ञ में एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में 95 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन धनराशि दिया जाना – सूचनार्थ	i) विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष व अन्य शैक्षणिक पदों पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलसचिव महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया जिस पर प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। ii) योग में, यज्ञ में एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में 95 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने के निर्णय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उपस्थिति सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से प्रशंसा की गयी।
7.	कार्यसूची–7 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय। i) वार्षिक वित्तीय बजट ii) रिसर्च कमेटी (उच्च स्तरीय शोध समिति) में संशोधन iii) हस्ताक्षरित किए गए MOU सम्बन्धित जानकारी iv) विश्वविद्यालय अनुशासन समिति की Post Facto अनुमति एवं संशोधन	i) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय बजट की प्रस्तुति वित्ताधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिसको स्वीकृत किया गया। ii) प्रस्तावित रिसर्च कमेटी (उच्च स्तरीय शोध समिति) को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। (कार्यवाही – कुलसचिव एवं सभी संकायाध्यक्ष) iii) विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों के मध्य हस्ताक्षरित हुए MOU की जानकारी प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को दी गयी। iv) विश्वविद्यालय अनुशासन समिति की कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की गयी एवं आगामी अनुशासन समिति की रूपरेखा कुलानुशासिका डॉ. साध्वी देवप्रिया जी द्वारा तैयार की जाएगी। (कार्यवाही– डॉ. साध्वी देवप्रिया, कुलानुशसिका)

क्रमशः 7

	v) शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रवेश प्राप्त प्रथम वर्ष के योग, साईस और प्राच्य विद्या संकाय के विद्यार्थियों के प्रथम अर्ध सत्र सेमेस्टर की सीबीसीएस प्रणाली में संचालित परीक्षा एवं परिणाम से साम्बन्धित	परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रवेश प्राप्त प्रथम वर्ष के योग साईस और प्राच्य संकाय के विद्यार्थियों के प्रथम अर्ध सत्र सेमेस्टर की सीबीसीएस प्रणाली में संचालित परीक्षा एवं परिणाम हेतु अधिसूचना परीक्षा नियंत्रक को प्राप्त नहीं हुआ है; जिसके लिए संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध) को इस हेतु कार्यवाही करने के लिए कहा ताकि परीक्षा परिणाम का कार्य सुचारू रूप से सही समय पर हो सके। **(कार्यवाही – संकायाध्यक्ष – शिक्षण एवं शोध)**
	vi) दूरस्थ शिक्षा (ODL)	माननीय कुलपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि दूरस्थ शिक्षा में फैकेल्टी ऑनलाईन पढ़ायेगे और शुल्क भी निर्धारित करना होगा। ऑनलाईन पाठ्यक्रम कोर्स की रूपरेखा मार्च 2022 तक तैयार कर लें। **(कार्यवाही – संकायाध्यक्ष – शिक्षण एवं शोध)**
	vii) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से सम्बन्धित	माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के NAAC सम्बन्धी कार्यो के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य हेतु उनकी 10–15 लोगों की टीम विश्वविद्यालय में निरीक्षण करके आवश्यक सहायता दे सकती है। **(कार्यवाही – प्रति–कुलपति एवं डॉ. के.एन.एस यादव)**

अन्त में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बैठक मे उपस्थित प्रबन्ध मण्डल के समस्त गणमान्य सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री को भी अपना आशीष देने के लिए कहा। माननीय कुलपति महोदय ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि "विश्वविद्यालय का ढांचा, दृश्य, स्वरूप बड़ा हो गया है कुछ कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और कुछ शेष हैं, जिसे सब लग करके यथा समय पूर्ण कर लेंवे।" बैठक के कार्यवृत्त पर समय से कार्यवाही पूर्ण करने के लिए सभी को निर्देशित किया।

शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति–कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल (Board Of Management) की प्रथम बैठक दिनांक 13.03.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे

कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1

आज दिनांक 13 मार्च 2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रबन्ध मण्डल की प्रथम बैठक प्रार्थना सभा के साथ प्रारम्भ हुई बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्र. सं.	कार्यवृत्त- चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	कार्यसूची क्र.सं.- 01 दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित छठीं विद्वत् परिषद की बैठक में कार्यवृत्त क्रं.सं. 04 के अन्तर्गत पुष्टि एवं दीक्षान्त समारोह आयोजन के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं (i से vii) तक चर्चा उपरान्त प्रबन्ध मण्डल की बैठक से स्वीकृति हेतु अनुमोदन।	दिनांक 08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद की बैठक में अनुमोदित निम्न बिन्दुओं पर प्रबन्ध मण्डल में चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी- i. दीक्षांत समारोह की तिथि का निर्धारण: विद्वत् परिषद में निर्धारित 31 मार्च 2020 की तिथि को दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि की उपलब्धि व अनुकूलता अनुसार निश्चित किये जाने के लिये मा0 कुलाधिपति को वार्ता कर सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया। ii. स्नातक, परा-स्नातक, पी.एच.डी व पी.जी.डिप्लोमा डिग्रियों के प्रारूप- विद्वत् परिषद में प्रस्तुत प्रारूप प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया। iii. दीक्षान्त समारोह वेशभूषा- दीक्षान्त समारोह में पहने जाने वाली वेशभूषा को स्वीकृत कर प्रक्रिया को तीव्र गति से पूर्ण कराने के लिए कहा। iv. उपाधि- (अ) वर्ष 2010 से वर्तमान सत्र तक बी.ए., बी.एस.सी, एम.ए.,एम.एस.सी, पी.एच.डी. व पी.जी.डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। (ब) पूर्व में माननीय कुलपति की प्रत्याशा में प्रदान किए गये 'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। v. स्वर्ण पदक- (क) स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता सत्र 2019 20 प्रत्येक पाठ्यक्रम में कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले व न्यूनतम 70% एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले

		स्नातक/परास्नातक को अन्य निर्धारित नियमों के अनुसार ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाये। सत्र 2020-21 से आगे अग्रिम निर्देशों तक न्यूनतम 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही ऐसे स्नातक/परास्नातक को एक कक्षा में एक ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। (ख) स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातक/परास्नातक पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही न हुयी हो। (ग) सभी सेमेस्टर में किसी भी विषय में पुर्नपरीक्षा न दी हो। (घ) स्नातक/परास्नातक पर किसी भी प्रकार का शुल्क आदि बकाया न हो तथा उसने अदेय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग में जमा कर दिया हो। (ङ) अन्य सभी नियमों के अनुसार सफल होने पर ही सम्बन्धित स्नातक/परास्नातक को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। vi. उपाधि एवं वेशभूषा शुल्क- (अ) उपाधि हेतु- 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) (ब) वेशभूषा हेतु- 3500 (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) सभी उपरलिखित राशी अभ्यर्थियों को जमा करवानी आवश्यक है। विशेष- जो अभ्यर्थी दीक्षान्त वेशभूषा लेकर जाना चाहेंगे उन्हें 3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) देने होंगें एवं जो नहीं लेकर जाना चाहेंगे उनको कटौती स्वरूप रखरखाव शुल्क के रूप में 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) काटकर दीक्षान्त समारोह के बाद, वेशभूषा लौटाने पर 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) का सुरक्षा धन वापस कर दिया जाये। vii. प्रायोजक- पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में जो इच्छुक महानुभाव स्वर्णपदक हेतु दानदाता होना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या सम्बन्धी के नाम से नामित करना चाहते हैं उन्हें विद्वत् परिषद द्वारा निर्धारित धनराशि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) को सम्बन्धित कोष में जमा कराना होगा तथा दानदाता का प्रायोजक काल 50 वर्ष तक रहेगा। इस तरह के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय में विनियम (Regulation) बनाये जाएं तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत कराये जायें।
2.	कार्यसूची क्र.सं.- 02 परिनियम	(अ) पूर्व में माननीय कुलपति जी के द्वारा प्रत्याशा में प्रदान किए गये

	(4.4.4 (C) i) के अर्न्तगत पूर्व में माननीय कुलपति की प्रत्याशा में प्रदान किए गये 'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) तथा अनुमोदित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पर चर्चा एवं अनुमोदन।	'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) को प्रबन्ध द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। (ब) विद्वत् परिषद के द्वारा अनुमोदित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के प्रारूप को प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
3.	कार्यसूची क्र.सं.- 03 पतंजलि विश्वविद्यालय की सील (Seal) विषयक।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-01 में अनुमोदित पतंजलि विश्वविद्यालय की सील (Seal) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
4.	कार्यसूची क्र.सं.- 04 पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो (Logo) विषयक।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-02 में अनुमोदित पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो (Logo) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
5.	कार्यसूची क्र.सं.- 05 परिनियम 4.4.4 C ii & 9.1.2 & 9.1.3 के अर्न्तगत Allied & Applied Science (Faculty of Science) एवं नये सत्र से अन्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।	(अ) 08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-05 में अनुमोदित Faculty of Science के अर्न्तगत Allied & Applied Science विभाग को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति दी गई। (ब) माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों (विज्ञान संकाय के अर्न्तगत- जीव विज्ञान विभाग, जैव यांत्रिकी विभाग, एवं रसायन विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान विभाग; योग विज्ञान संकाय के अर्न्तगत- शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग; मानविकी एवं प्राच्य शिक्षा के अन्तर्गत- हिन्दी विभाग को स्वीकृत किया गया। (स) 08.02.2020 को विद्वत् परिषद द्वारा बी.एस-सी. ऑनर्स बॉयोलॉजिकल साईंस, बॉयोटेक्निकल साईंस, बॉयो कैमेस्ट्री, माइक्रो बॉयोलॉजी, आयुर्वेद बॉयोलॉजी, बॉयोटेक्नोलॉजी एवं भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल में छः माह का सर्टिफिकेट प्रोग्राम सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
6.	कार्यसूची क्र.सं.- 06 परिनियम 9.12.1 - 9.12.3 के अन्तर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभिन्न पदों की योग्यता निर्धारण हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-07 में स्वीकृत पदों- कुलसचिव कार्यालय में निजि सहायक, निजि सचिव एवं परीक्षा नियन्त्रक (CoE) उप कुलसचिव (Deputy Registrar) सहायक सचिव (परीक्षा) (Assistant Registrara Exam) व सहायक सचिव (शैक्षणिक) (Assistant Registrara Academics) की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं एवं परिनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।

7.	कार्यसूची क्र.सं.- 07 पतंजलि विश्वविद्यालय की रिसर्च कमेटी का गठन।	पतंजलि विश्वविद्यालय विनियम संख्या 08, भारत सरकार द्वारा 05 जुलाई 2016 को अधिसूचित किया गया राज-पत्र संख्या 278 व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान के क्षेत्र में होने वाले कार्यों को और अधिक सुचारू रूप से प्रमाणिकता के साथ करने हेतु कुलसचिव महोदया एवं संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध) द्वारा रिर्सच कमेटी के निम्नलिखित स्वरूप स्वरूप को प्रस्तुत किया गया- 1- प्रति-कुलपति, डॉ. महावीर अग्रवाल - चेयरमैन 2- कुलसचिव, डॉ. प्रवीण पुनिया- सदस्या 3- संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध), प्रो. वी. के. कटियार- सदस्य 4- संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन- पू. साध्वी देवप्रिया जी, - सदस्या 5- समस्त विभागाध्यक्ष/संबंधित विभाग के वरिष्ठतम संकाय 6- वरिष्ठ वैज्ञानिक/विशेष सदस्य- i. डॉ. अनुराग वार्ष्णेय, उपाध्यक्ष, ड्रग डिस्कवरी डिविजन, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। ii. डॉ. वंद प्रिया, वैज्ञानिक, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। iii. प्रो. मनोहर लाल आर्य, संस्कृत विभाग। iv. प्रो. पारस गौड़ा, योग विभाग प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि. वि/2016/566)। v. डॉ. सरले टेलीस, योग विभाग, प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि. वि/2016/566)। vi. डॉ. रुद्र भण्डारी, योग विभाग, प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि. वि/2016/566)। 7- योग विभाग से चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए एक प्राध्यापक-सचिव/समन्वयक। उपरोक्त रिसर्च कमेटी (उच्च स्तरीय शोध समिति) प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
8.	कार्यसूची क्र.सं.- 08 परिनियम 4.4.5 (D) i के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/छात्रावासों में अनुशासन सम्बन्धित नियमों पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों से सम्बन्धित नियमो तथा उपनियमों के पालनार्थ माननीय कुलाधिपति जी द्वारा परिनियम 2.7.0-2.7.4 के अर्न्तगत छात्रों हेतु मा0 प्रति-कुलपति, डॉ. महावीर अग्रवाल को कुलानुशासक तथा पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को सहायक कुलानुशासक एवं छात्राओं हेतु पूज्या साध्वी डॉ. देवप्रिया को कुलानुशासिका तथा पूज्या साध्वी देवसाधना को सहायक कुलानुशासिका

		नियुक्त करने की संस्तुति प्रबन्ध मण्डल द्वारा की गई।
9.	कार्यसूची क्र.सं.- 09 दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित विद्वत् परिषद की बैठक में कार्यवृत्त क्र.सं.- 11 (12 b) के अनुसार परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु जैसे प्रश्न पत्र बैंक, पुस्तिकाओं के स्थानीय स्तर पर जांचने की प्रक्रिया, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता) हेतु नियम आदि पर चर्चा।	(अ) परीक्षा प्रणाली की प्रमाणिकता एवं प्रक्रिया को सहज करने हेतु प्रश्नपत्र बैंक निर्माण व इसी से परीक्षा समिति द्वारा नामित प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष आदि द्वारा अन्तिम परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों के निर्माण कार्य को प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (ब) उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विश्वविद्यालय से बाहर के मूल्यांकनकर्त्ता के द्वारा करवाने से रिजल्ट तैयार करने में होने वाली देरी से विद्यार्थियों के अगले अर्ध सत्र में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांचने की प्रक्रिया Table Marking से करवाये जाने को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया।
10.	कार्यसूची क्र.सं.- 10 परिनियम 5.4.14 (i) के अन्तर्गत पूर्व में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. आदि पर चर्चा अनुमोदन एवं स्वीकृति।	पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शैक्षिणिक संस्थाओं क्रमशः वांक्वांग डिजिटल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, एम्स ऋषिकेश, जमशेदपुर वुमन्स कॉजेल जमशेदपुर, देव समाज कॉजेल फॉर वुमन फिरोजपुर पंजाब एवं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल के साथ पूर्व में किये गये एम.ओ.यू को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की गयी।
11.	कार्यसूची क्र.सं.- 11 परिनियम 4.4.4 (C) V के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक (परीक्षा, व्याख्यान आदि से सम्बन्धित) के निर्धारण एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में चर्चा।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों के अन्तर्गत पूर्व में प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक व्याख्यान एवं परीक्षा आदि से सम्बन्धित को स्वीकृत किया गया तथा भविष्य में आवश्कतानुसार संशोधन हेतु माननीय कुलपति (अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल) को अधिकृत किया गया।
12.	कार्यसूची क्र.सं.- 12 शुल्क मुक्ति के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति जी एवं कुलपति जी का मार्गदर्शन। (परिनियम 4.4.4 (C) iii)	भविष्य में विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी को शुल्क मुक्ति माननीय कुलाधिपति जी एवं कुलपति जी के द्वारा ही दी जा सकेगी।
13.	कार्यसूची क्र.सं.- 01 Migration from one stream to another. (There should be time limit) 1 सप्ताह एवं सीट पूर्ण होने पर न दी जाये।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी का एक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाना सम्भव नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थिति में ही स्थानातंरण का अधिकार केवल मा0 कुलपति के पास रहेगा।
14	कार्यसूची क्र.सं.- 02 Ph.D की	(क) पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30 (क)

	प्रवेश परीक्षा में एडमिशन कमेटी में डीन एकेडमिक्स के साथ सम्बन्धित डीन फैकल्टी, विभागाध्यक्ष,कुलसचिव, प्रति-कुलपति सदस्य हों व अन्तिम सूची कुलसचिव, प्रति-कुलपति के माध्यम से कुलपति के पास स्वीकृति हेतु जाए।	विनियम 8) के अन्तर्गत इस कार्यसूची पर चर्चा हुई तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा Ph.D में भी प्रवेश परीक्षा में एडमिशन कमेटी में निम्न सदस्य रहेंगे 1. 'प्रति-कुलपति', 2. 'कुलसचिव', 3. डीन एकेडमिक्स 4. 'डीन फैकेल्टी', 5, 'विभागाध्यक्ष', सदस्य होंगे/रहेंगे व अन्तिम सूची कुलसचिव, प्रति-कुलपति के माध्यम से कुलपति के पास स्वीकृति हेतु जाए (ख) पी.एच.डी थिसिस जांच प्रक्रिया में सभी थिसिस परीक्षक भारत से ही होंगे। जिसमें से एक उत्तराखण्ड व अन्य उत्तराखण्ड से बाहर भारत के अन्य किसी भी प्रान्त से परन्तु सम्बन्धित विषय पर विशेषज्ञता रखने वाले हो। (ग) शोधार्थी के Supervisor Committee में विश्वविद्यालय या पतंजलि की अन्य संस्थाओं या यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार ही Approved Adjunct Faculty Member भी हो सकता है। सह-निर्देशक द्वारा अन्य संस्थान से भी चयनित किया जा सकता है। (ग) पतंजलि विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका 'पतंजलि विश्वविद्यालय प्रभा' को शोध पत्रिका के स्वरूप में परिवर्तन के लिए स्वीकार किया गया।
15	कार्यसूची क्र.सं.- 03 किसी भी कार्यक्रम/कोर्स ऑफ स्टडी में निर्धारित सीट से अधिक न बढ़ायी जाए।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस कार्यसूची पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।
16	कार्यसूची क्र.सं.- 04 अ) बी.ए. योग को बी.एस.सी योग विज्ञान के साथ मिलाकर सीट बढ़ा दी जाए तथा जो संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा, कला संकाय (10+2 में कला विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों) के लिए खोला जाए। ब) बी.एस.सी में सीट ज्यादा रखी जाए तथा बी.ए. में कम कर दी जाए।	उक्त कार्यसूची पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यथाशीघ्र ही विश्वविद्यालय में लागू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का भी निर्देश प्रदान किया गया।
17	कार्यसूची क्र.सं.- 05 पुर्नपरीक्षा वाले विद्यार्थियों का क्या करना है?	सत्र 2019-20 तक के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 02 या 02 से अधिक बार पुर्नपरीक्षा देने के बावजूद भी सम्बन्धित विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं उन्हें पुर्नपरीक्षा के लिए एक स्वर्णिम अवसर अवसर प्रदान किया जाए

		ताकि अब तक के ऐसे सभी विद्यार्थीयों को अन्तिम अवसर का लाभ मिल जाए।
18	पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 की धारा-22 (2) के अन्तर्गत (परिनियम-4-4-0, (4.4.6- v)) में पतंजलि विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल; विश्वविद्यालय के कुलपति को उन सब निर्णयों के लिये अधिकृत करती है, जो विश्वविद्यालय के हित में अगली प्रबध मण्डल की बैठक से पहले समय-समय पर लेने आवश्यक होंगे।	
19	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय- (क) वर्ष 2020-21 में प्रवेश सम्बन्धित- 1- अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा (स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में: न्यूनतम 60 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर/डिप्लोमा में प्रवेश हेतु स्नातक में: न्यूनतम 55 प्रतिशत) में निर्धारित अंक होने अनिवार्य हैं। 2- प्रवेश पात्रता लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक। 3- शिविर के अन्तर्गत गतिविधियों के अवलोकन, विश्लेषण तथा साक्षात्कार के आधार पर 40 प्रतिशत अंक। 4- शारीरिक/मेडिकल जाच को मात्र औपचारिकता न मानकर चिकित्सक को निष्पक्षता से अभ्यर्थियों की गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी (किडनी, हृदय, (फीट) दौरे, अस्थमा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए 5- पतंजलि विश्वविद्यालय से स्नातक विद्यार्थियों को यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु लिखित प्रवेश पात्रता परीक्षा में छूट प्रदान की जाएगी यद्यपि शिविर में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा (विद्यार्थी अनुशासनहीनता का दोषी नहीं होना चाहिए) 6- नवप्रवेशी छात्र/छात्रा तथा अभिभावकों द्वारा विश्वविद्यालय तथा छात्रावास के नियमों, 'रैगिंग' नहीं आदि के पालनार्थ शपथ पत्र (एफिडेविट) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। (ख) प्रवेश समिति (Admission Committee), Examination Committee, POsH Committee आदि के गठन की जानकारी प्रबन्ध मण्डल को दी गयी। (ग) परिनियम 2.6.0-2.6.2 के अन्तर्गत पूज्या साध्वी डॉ. देवप्रिया जी, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग को डीन ऑफ फैकल्टी (Humanities and Ancient Studies/संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन) की नियुक्ति की संस्तुति की गयी।	

अन्त में कुलसचिव महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति-कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

6वीं (छठवीं) विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 08.02.2020 प्रातः 09:15 बजे कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1

आज दिनांक 08 फरवरी 2020 को प्रातः 09:15 बजे विद्वत् परिषद की बैठक प्रार्थना सभा के साथ प्रारम्भ हुई बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार निम्न बिंदुओं पर चर्चा, विचार-विमर्श एवं स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्रं.स.	कार्यवृत्त- चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	दिनांक 03 जनवरी 2020 को आयोजित पांचवीं विद्वत् परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की रिर्पोट कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही व रिर्पोट की पुष्टि एवं अनुमोदन किया।	
2.	कार्यसूची संख्या- 01 पतंजलि विश्वविद्यालय की सील विषयक।	परिषद के सदस्यों ने पतंजलि विश्वविद्यालय की सील के प्रारूप को परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। सील के स्वीकृत प्रारूप को बनवाया जाये व विश्वविद्यालय की सम्पति माना गया जो कि कुलसचिव के अधीन रहेगी। (कार्यवाही- कुलसचिव)
3.	कार्यसूची संख्या- 02 पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो विषयक।	परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय के 'लोगो' (Logo) के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
4.	कार्यसूची संख्या- 03 दीक्षांत समारोह आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा।	
	i. दीक्षांत समारोह की तिथि का निर्धारण।	31 मार्च 2020 को दीक्षांत समारोह की तिथि निश्चित की गई। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	ii. स्नातक, परा-स्नातक, पी.एच. डी व पी.जी.डिप्लोमा डिग्रियों के प्रारूप।	कुलसचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत डिग्रियों के प्रारूप को विद्वत् परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। डिग्रियों की भाषा संस्कृत एवं अंग्रेजी में रहेगी। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	iii. दीक्षान्त समारोह वेशभूषा	a) अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की दीक्षान्त समारोह के लिए वेशभूषा में क्रीम रंग की धोती एवं क्रीम रंग का अंगरखा-नुमा कुर्त्ता जिसके अगले भाग पर भगवे/गेरूआ रंग की पाइपिंग/पट्टी लगी होगी एवं आर्य वीरदल वाली पगड़ी को स्वीकृत किया। b) अधिकारियों, छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं महिला कर्मचारियों हेतु दीक्षान्त वेशभूषा क्रीम रंग की लाल बॉडर की साड़ी एवं क्रीम रंग का अंगरखा-नुमा कुर्ती/ब्लाउज जिस पर भगवे/गेरूवे रंग की पाइपिंग/पट्टी लगी होगी एवं आर्य वीरांगना वाली पगड़ी स्वीकृत की गयी। c) विशेष माननीय अतिथियों हेतु अन्य रंग का अंगरखा नुमा कुर्त्ता, धोती एवं अन्य रंग की पगड़ी को जो भी माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत की जाये को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। (कार्यवाही- (a)(b)(c) कुलसचिव)

	iv. उपाधि	वर्ष 2010 से वर्तमान सत्र तक बी.ए., बी.एस.सी, एम.ए.,एम. एस.सी, पी.एच.डी. व पी.जी.डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। (कार्यवाही- कुलसचिव व संकायाध्यक्ष)
	v. स्वर्ण पदक	a) स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता- i. प्रत्येक पाठ्यक्रम में 70% एवं उससे अधिक, प्राप्तांक वाले छात्र/छात्रा को ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाये। ii. जिस कक्षा में 2 या 2 से अधिक छात्र पास हुए हैं उन्हीं में प्रथम विद्यार्थी को स्वर्ण पदक दिया जाये। iii. वर्ष 2020-21 के सत्र से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में उन्हीं को पदक प्रदान किया जाये जिस कक्षा में कम से कम 10 विद्यार्थी होंगे। b) स्वर्ण पदक के मानक को परिषद् द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि पदक पर स्वर्ण धातु का पानी चढ़ा हो, विश्वविद्यालय की सील एवं छात्र/छात्रा तथा पाठ्यक्रम का नाम अंकित हो। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	vi. उपाधि एवं वेशभूषा शुल्क	a) उपाधि हेतु- 1000/- (एक हजाररूपये मात्र) b) वेशभूषा हेतु- 3500 (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) सभी उपरलिखित राशी अभ्यर्थियों को जमा करवानी आवश्यक है। विशेष- जो अभ्यर्थी दीक्षान्त वेशभूषा लेकर जाना चाहेंगे उन्हें 3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) देने होंगें एवं जो नहीं लेकर जाना चाहेंगे उनको कटौती स्वरूप रखरखाव शुल्क के रूप में 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) काटकर दीक्षान्त समारोह के बाद, वेशभूषा लौटाने पर 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) का सुरक्षा धन वापस कर दिया जाये। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	vii. प्रायोजक	पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में जो इच्छुक महानुभाव स्वर्णपदक हेतु दानदाता होना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या सम्बन्धी के नाम से नामित करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा करनी होगी साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि उनका प्रायोजक काल 50 वर्ष तक रहेगा। इस तरह के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय में विनियम (Regulation) बनाये जाएं।
5.	कार्यसूची संख्या- 05 **Allied & Applied Science Faculty of Science** के अर्न्तगत	पूर्व में हुई बैठक द्वारा अनुमोदित व विद्वत् परिषद में स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति को अग्रसारित तथा माननीय

		कुलपति द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय में Allied & Applied Science विभाग Faculty of Science के अर्न्तगत नये सत्र से प्रारम्भ करने पर परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
06.	कार्यसूची संख्या- 06 सत्र 2020-21 से स्नातक एवं परा-स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में निम्न कोर्स अध्ययन कार्यक्रमों (Programmes of Study) को प्रारम्भ करने पर चर्चा।	a) दिनांक 03 जनवरी 2020 को माननीय कुलाधिपति महोदय जी अध्यक्षता में सम्पन्न परामर्शदात्री समिति की बैठक में अनुमोदित पाठ्यक्रमों पर विद्वत् परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद परा-स्नातक स्तर पर 1. Biotechnology Science 2. Industrial Microbiology 3. Bio Chemistry 4. Industrial Chemistry 5. Botany (Ethno Botany) एवं 6. Ayurved Biology ; तथा स्नातक स्तर पर i. B.sc. Medical (Honours) निम्नलिखित Biotechnical Science, Industrial Chemistry, Bio Chemistry, Microbiology, Biotechnology) में से किसी एक विषय के 02 कोर्स, आनर्स के लिए विशेषज्ञता के चयन के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के CBCS सिस्टम के अनुसार सत्र 2020-21 के सत्र से प्रारम्भ किये जाने पर पूर्ण सहमती प्रदान की। बी.एस.सी मेडिकल मे डिग्री कर 03 वर्ष की आनर्स डिग्री मानी जाएगी ii. आयुर्वेद जैवविज्ञान (Ayurved Biology) (स्नातक/परा-स्नातक स्तर पर) के विषय में माननीय कुलपति जी द्वारा सभा को बताया गया कि भारतीय आयुर्वेद की प्राचीनतम पद्धतियों को नवीन अनुसंधान के साथ समावेशित कर वैश्विक स्तर पर दृढ़ संकल्प के साथ इस पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा तभी कुछ नया कर सकते हैं। अतः आयुर्वेद जैवविज्ञान (Ayurved Biology) विषय में स्नातक का पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 से प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्रदान की। b) सीटों की संख्या- स्नातक- 30, स्नातकोतर स्तर- 20 (कार्यवाही- पाठ्यक्रम आदि- संकायाध्यक्ष, प्रवेश प्रक्रिया - कुलसचिव)
07.	कार्यसूची संख्या-07 एवं 08 पतंजलि विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों की स्वीकृति।	a) विश्वविद्यालय के सफल कार्यालय संचालन हेतु कुलसचिव कार्यालय में निजि सहायक, सहायक एवं परीक्षा नियन्त्रक (COE) उपसचिव (Deputy Registrar) सहायक सचिव (परीक्षा) (Assistant Registrar) (Exam) व सहायक सचिव (Assistant Registrar) की स्वीकृति भी प्रदान की गई। नोट- विश्वविद्यालय के उपरलिखित विभागों में स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने पर तथा साथ ही विश्वविद्यालय के अनुभव

		एवं निष्ठा तथा योग्यता के आधार पर नियुक्ति नियमों में शिथिलता प्रदान की जाये एवं संस्था में अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाये। (कार्यवाही- कुलसचिव व वित्तअधिकारी)
08.	कार्यसूची संख्या- 09 एलुमिनाई एसोशियन के गठन विषयक।	पतंजलि विश्वविद्यालय में एलुमिनाई एसोशियन के गठन एवं नियमित बैठक पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
09.	कार्यसूची संख्या- 10 शोध छात्र/छात्राओं के पंजीकरण के पूर्व 02 क्रेडिट के पाठ्यक्रम (Publication Ethics & Publication Misconducts) की अनिवार्यता।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुरूप शोध छात्र/छात्राओं के पंजीकरण के पूर्व 02 क्रेडिट के पाठ्यक्रम (Publication Ethics & Publication Misconducts) की अनिवार्यता को परिषद द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया। वर्ष 2020-21 के सत्र से इस Course को Ph.D. के शोधार्थियों के पाठ्यक्रम में लागू किया जाये। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
10.	कार्यसूची संख्या- 11 छात्र/छात्राओं हेतु सलाहकार समिति के गठन पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं शैक्षिणिक उत्कर्ष हेतु सलाहकार समिति बनाकर Tutorial कक्षा प्रारम्भ की जाये। इस सलाहकार समिति को बनाने के लिए शिक्षक छात्रों एवं शिक्षिकाएं छात्राओं के सलाहकार नियुक्त किये जाए तथा सभी कक्षाओं से छात्र-छात्राओं (पृथक-2) के समूह ग्रुप तैयार किये जाएंगे। यह कक्षा सप्ताह में एक बार, 01 घण्टे की निश्चित रहे। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में अनिवार्य होगी व उनके द्वारा अन्य गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर इसमें सन्तोषजनक [S= Satisfactory Grade] या असन्तोषजनक [US= Unsatisfactory Grade] परिणाम घोषित किया जाये। यह Tutorial कक्षा हर सेमेस्टर के कोर्स का भाग रहेगी। असन्तोषजनक परिणाम होने पर उसे दुबारा करना (Reappear होना) होगा। इस कक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सलाहकार का रहेगा। छात्र परामर्श समिति के गठन पर परिषद की पूर्ण सहमती बनी। (कार्यवाही- कुलसचिव, संकायाध्यक्ष व अध्यक्ष अनुशासन समिति)
11.	कार्यसूची संख्या- 12 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय a) शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के अर्न्तगत नये पाठ्यक्रम विषयक- b) प्रश्नपत्र बैंक निर्माण- c) संगीत बिभाग में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर करना।	माननीय कुलसचिव ने परिषद को बताया गया कि a) शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के अर्न्तगत छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स 'भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल' में सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं जिसे स्वीकृत उपर्लिखित कोर्स की सफलता के बाद 'भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल' में पी.जी.डिप्लोमा भी प्रारम्भ किया जाएगा। b) विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली को अत्यन्त सुगम बनाने हेतु प्रश्नपत्र बैंक के निर्माण पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रश्नपत्र बनाने की जिम्मेदारी परीक्षा

		नियन्त्रक एवं कुलसचिव की होगी तथा यह भी निश्चित किया गया कि परीक्षा की कॉपियों को जांचने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर (हरिद्वार) पर रहेगी। उपरलिखित (a) व (b) को परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की। c) संगीत विभाग के अर्न्तगत संचालित हिन्दुस्तान (भारतीय) संगीत परास्नातक एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर संचालित (एक वर्षीय हिन्दुस्तानी (भारतीय) संगीत डिप्लोमा) करने के लिए परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार्यता प्रदान की गई। (कार्यवाही- कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियन्त्रक एवं प्रशासनिक अधिकारी) (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
12.	कार्यसूची संख्या- 06 विश्वविद्यालय के गणवेश निर्धारण के विषय में चर्चा एवं अनुमोदन।	छात्र/छात्राओं हेतु गणवेश निर्धारण- पुरुष वर्ग हेतु; सफेद रंग का कुर्ता/पायजामा या पैंट/शर्ट एवं महिला वर्ग हेतु; सफेद रंग का सूट/सलवार (तंग पायजामी नहीं)। महिला प्राध्यापिकओं व कर्मचारियों हेतु मैरून रंग की पाइपिंग/पट्टी आदि एवं क्रीम रंग की साड़ी जिस पर गहरे मैरून रंग का बॉर्डर हो को पारित किया गया। (कार्यवाही - प्रति-कुलपति / कुलसचिव / संकायाध्यक्ष)

अतिरिक्त कार्यसूची चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।

1.	कार्यसूची संख्या- 01 एवं 02 विश्वविद्यालय कैलेण्डर एवं प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया विषय पर चर्चा।	a) विश्वविद्यालय कैलेण्डर- पूर्व की बैठकों में निर्धारित विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेण्डर को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा उक्त शैक्षिक कैलेण्डर को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। b) सत्र 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया का स्वरूप निम्न प्रकार रहेगा- दिनांक 28 जून से 02 जुलाई तक प्रतिभा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा, 03 जुलाई को प्रवेश पात्रता परीक्षा एवं 15 जुलाई को परीणाम घोषित किया जाएगा। किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 10 है। c) प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु निम्न मानकों का निर्धारण किया गया। • प्रवेश पात्रता के लिए 30 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण कक्षा। • लिखित परीक्षा के लिए 30 प्रतिशत अंक। • शिविर के अर्न्तगत गतिविधियों के अवलोकन, विश्लेषण तथा साक्षात्कार के आधार पर 40 प्रतिशत अंक।

		• शारीरिक/मेडिकल जांच को मात्र औपचारिकता न मानकर चिकित्सक को निष्पक्षता से अभ्यर्थियों की गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। • अभ्यर्थी (किडनी, हृदय, (फीट) दौरे, अस्थमा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियन्त्रक, कुलसचिव)
2.	कार्यसूची संख्या- 03 राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उ0प्र0 द्वारा प्राप्त पत्र के विषय में चर्चा एवं निर्णय।	राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उ0प्र0 के बारहवीं पास छात्रों को पतंजलि विश्वविद्यालय में स्नातक/प्रमाणा पत्रों में पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परिस्थिति के अनुसार अनुमोदन। (कार्यवाही- कुलसचिव)
3.	कार्यसूची संख्या- 04 पाठ्यक्रमों में बढ़ी सीटों के अनुमोदन पर चर्चा।	विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 तक पाठ्यक्रमों में बढ़ी सीटों को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित। (कार्यवाही- कुलसचिव)
4.	कार्यसूची संख्या- 05 कश्मीरी एवं कश्मीरी पण्डितों को विश्वविद्यालय की प्रवेश सीटों में आरक्षण देने विषयक चर्चा एवं अनुमोदन।	कश्मीरी एवं कश्मीरी पण्डितों को विश्वविद्यालय की प्रवेश सीटों में आरक्षण देने विषयक कार्यसूची को विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि पतंजलि विश्वविद्यालय एक प्राइवेट स्ववित पोषित विश्वविद्यालय है। इसके अर्न्तगत आरक्षण देने को कोई भी प्रावधान नहीं आता है जिस पर परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उक्त विषय को नहीं माना। (कार्यवाही- कुलसचिव)
4.	कार्यसूची संख्या- 06 पुरानी रद्दी के निस्तारण विषय पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय में पुरानी रद्दी आदि के निस्तारण के सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुसार परिषद् द्वारा अनुमोदन एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। (कार्यवाही- परीक्षा नियन्त्रक)

अन्त में कुलसचिव महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति-कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
उत्तराखण्ड

पतंजलि विश्वविद्यालय, हैरिद्वार के विद्या परिषद की 17.10.2011 को सम्पन्न प्रथम बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्ति विवरण-

कार्यावली संख्या-1 : पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30 के अन्तर्गत विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित नियमावाली, विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल की दिनांक 21.04.2012 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे व्यवस्थापक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

कार्यावली संख्या-2 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-3 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-4 : विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार शैक्षिणक सत्र 2012-13 से पीएच.डी पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई-2012 निर्धारित की गयी है।

कार्यावली संख्या-5 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के निम्नलिखित दो प्राध्यापक पीएच.डी शोध के लिए गाईड (Supervisor)के रूप में उपयुक्त पाए गए हैं।

(1) डॉ0 जी0डी0 शर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, योग विज्ञान विभाग
(2) डॉ0 सरले टेरिस, प्राध्यापक, योग विज्ञान विभाग

कार्यावली संख्या-6 : दिनांक 19.07.2012 की विद्या परिषद की बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गाया है।

शेष पेज दो पर

कार्यावली संख्या-7 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-8 : अंकित किया गया ।

कार्यावली संख्या-9 : शैक्षिणक सत्र 2012-13 में होने वाले नामांकन में दर्शनशास्त्र को बी.ए. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।

कुल सचिव

कार्यवृत्त

विद्या परिषद की बैठक- दिनांक: 30.05.2019

1. पतंजलि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30.05.2019 को माननीय कुलाधिपति पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य एवं माननीय कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी की अध्यक्षता में गायत्री मन्त्र से प्रारम्भ हुई ।

2. अधोहस्ताक्षरी एवं बैठक के संयोजक द्वारा दिनांक 10.05.2019 की स्टैंडिग कमेटी (स्थायी समिति) में लिये गये निर्णयों एवं सुझावों को प्रस्तुत किया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

3. बैठक में बी.ए., एम.ए. एम.एस.सी, डिप्लोमा के सभी विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

4. सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम संक्षिप्त परन्तु सारगर्भित एवं प्रासंगिक होना चाहिये । पाठ्यक्रम में ग्रंथो / सहायक ग्रंथों की सूची उपयोगी एवं सीमित होनी चाहिये, सभा के सदस्यों एवं विशेषज्ञों ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया किं पाठ्यक्रम निर्धारण में उक्त विषय वस्तु को समाहित किया गया है ।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम रोजगारपरक हो एवं वैदिक ज्ञान पर आधारित हो, उन्होने उदाहरण देते हुए कहा कि भविष्य में वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (Microbiology) आदि पाठ्यक्रमों में भारतीय वैदिक ज्ञान को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाये जिससे विद्यार्थी को सैद्धान्तिक एवं कियात्मक ज्ञान प्राप्त हो सके।

6. शिक्षण प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम भी प्रारम्भ करने पर विचार किया गया, जिसमें प्रमुखता एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई ।

7. सत्र 2020-21 में निम्न पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्राप्त हुई-
   1. बी.एड एवं BTC
   2. लोक प्रशासन में स्नातक,
   3. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक,
   4. कम्प्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक (Bachelors of Computer Application) BCA,
   5. व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (Bachelors of Business Administration) BBA,
   6. PGD in Yoga Therapy
   7. Biotech (Bachelor of Biotechnology)
   8. Biochemistry (Bachelor of Biochemistry)
   9. Industrial Chemistry (Bachelor of Industrial Chemistry)

8. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि केवल Medical / Clinical सम्बन्धी शोध (पी.एच.डी) में Internal Ethical Committee के अनुमोदन की आवश्यकता है, Non Medical / Non Clinical सम्बन्धी शोध (पी.एच.डी) में Internal Ethical Committee के अनुमोदन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ।

9. मनोविज्ञान एवं दर्शन विषय में पी.एच.डी प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्राप्त हुई ।

10. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न (एक अंक) के समाप्त करने पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

11. परीक्षा पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संगोष्ठी आदि को सीमित करने एवं परीक्षा के समय न करने सम्बन्धी निर्णय पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

12. माननीय कुलाधिपति श्रद्धेय स्वामी जी ने निर्देश दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोध संगोष्ठी, क्रीडा समारोह आदि कार्यक्रमों का आयोजन परीक्षा के निकट न कर सितम्बर अक्टूबर माह में करना उचित होगा, तथा इन कार्यक्रमों को सीमित अवधि में पूर्ण करना चाहिए।

13. निकट भविष्य में विश्वविद्यालय की अन्य वैधानिक बैठके सम्पन्न कराने के लिए सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान किये गये ।

14. छात्र / छात्राओं हेतु नियमावली संशोधन उपरांत सभा द्वारा अनुमोदित की गयी।

15. शांति पाठ के साथ सभा का समापन हुआ ।

(डॉ. महावीर अग्रवाल)
संयोजक / प्रति-कुलपति